न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 32/2016 (अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट)

1. रामपति } पिसरान रेवडिया
2. घनश्याम }
3. कल्याण } पिसरान रामजीलाल
4. सुरेश
5. बबूल

जाति मीना निवासी ग्राम पलानहेडा हाल सिनवासी सुक्कू का नगला ग्राम ग्राम पंचायत गौगेरा तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. दशरथ पुत्र जगनी } निसरान जगनी सिंह
2. अनेकसिंह उर्फ पप्पू }
3. अतरा उर्फ अतरसिंह }
4. लोकेन्द्रसिंह } पिसरान ओमप्रकाश
5. भूरासिंह }

जाति ठाकुर निवासी ग्राम गौगेरा तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0)

अप्रार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश खिलाफ तहसीलदार भुसावर दिनांक 26.2.2016 पत्रावली संख्या 1/2011 रामपति वगै0 बनाम दशरथ वगै0

उपस्थितः— 1. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी वकील अपीलान्ट।

2. श्री मुरारीलाल तिवारी वकील रैस्पोडेन्टस।

दिनांक 1.11.2017

निर्णय

यह अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 26.2.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट रामपति वगैरह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ने एक प्रार्थना पत्र 183 बी आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अंकित करते हुये कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 11 वीघा 12 विस्बा वाकै ग्राम गौगेरा तहसील भुसावर के 1/2 हिस्सा के खातेदार एवं खसरा नम्बर 133 रकबा 11 वीघा 12 विस्बा के 1/4 हिस्से पर काबिज है। शेष 1/4 हिस्से पर अप्रार्थीगण जो कि ठाकुर जाति (सामान्य जाति) के है के द्वारा करीब 6 साल से लठ्ठ के बल पर नाजायज कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण मीना जाति (अनुसूचित जन जाति) के है। जमाबन्दी सम्बत 2060 से 2063 रिकार्ड की स्थिति यह है कि अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल कौम वैश्य खातेदारी 1/2 हिस्सा, एवं घनश्याम पुत्र रेवडिया हिस्सा 1/6, एवं रामजीलाल पुत्र नारायन, व कल्पना,सुरेश,बबलू पुत्र रामजीलाल हिस्सा बरावर 1/3 कौम मीना साकिन पलानहेडा तहसील महवा दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अ0ज0जा0 की आराजी पर सवर्ण जाति के नाजायज कब्जे को हटवाये जाने का अनुरोध किया गया। बाद कार्यवाही तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट किया कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें अनुसूचित जन जाति एवं सामान्य जाति के कृषक शामिल है। बंटवारा भी नहीं हुआ है। बिना विधिवत बंटवारे के एस0टी0 की जमीन को अलग से निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रार्थी ने 6 वर्ष पूर्व का कब्जा बताया है सवर्ण द्वारा किये गये कब्जे की तिथि व सन को भी स्पष्ट नहीं किया है इस प्रकार तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2016 पारित करते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। क्यों कि तहत अदालत को यह तय करना था कि ख0नं0 133 रकबा 11 वीघा 12 विस्बा की जिसमें अपीलान्ट काबिज है, पर रैस्पोडेन्ट जो कि सवर्ण जाति के हैं के द्वारा नाजायज कब्जा किया है या नहीं ? तहत अदालत में साक्ष्य प्रमाणित होने के बाद भी अपीलान्ट को धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं माना है जो कतई गलत है। क्यों कि अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार है। रैस्पोडेन्ट विवादित भूमि का खातेदार भी नहीं है लेकिन पत्रावली पर जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 133 पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। बाबजूद इसके तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 183 बी खारिज करने में भारी भूल की है। तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट /सवर्ण द्वारा किये गये इस अवैध कब्जे को 6 साल पूर्व का बताया गया है जो प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। तहत अदालत का अपने अपीलाधीन आदेश में यह विवेचन करना कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है जिसमें एस0टी0 व सामान्य दोनों ही जाति के कृषक शामिल है इसलिऐ बिना बंटवारे के अपीलान्ट का अलग से रकबा निर्धारित नहीं किया जा सकता बिल्कुल गलत है क्यों कि अपीलान्ट ने तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र 183 बी जो प्रस्तुत किया था वह सहखातेदार काश्तकार के विरूद्ध पेश नहीं किया गया था बल्कि सवर्ण/रैस्पोडेन्ट द्वारा किये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गये नाजायज कब्जे को हटाये जाने के संदर्भ में पेश किया गया था। किन्तु तहत अदालत ने बगैर रिकार्ड/मौका रिपोर्ट देखे एवं वगैर अन्वीक्षा किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो अपीलान्टस के हक हकूकों को प्रभावित करने वाला है इसलिऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2016 अपास्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र 183 बी स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी अधिकारक्षेत्र से बाहर एवं मिथ्या भावना से प्रस्तुत किया गया है । विवादित खसरा नम्बर 133 रकबा 11 वीघा 12 विस्बा वाकै ग्राम गौगेरा तहसील वैर में स्थित है जिसमें 1/2 हिस्से का अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल जाति वैश्य निवासी महवा खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। सहखातेदार अशोक कुमार को अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है । पैमायश रिपोर्ट दिनांक 19.6.2012 भी एकतरफा में तैयार की गई है। बिना नक्शा, बिना पैमायश, बिना बिन्दु तय किये नजरी नक्शा में सीमांकन गलत रूप से दर्शाया है । विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका अभी विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है। बंटवारा नहीं होने पर सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जावेगा। इसके अलावा सहखातेदार अशोक कुमार द्वारा एक वाद धारा 188 आरटीएक्ट के तहत न्यायालय उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भुसावर के यहां किया हुआ है जो विचाराधीन है। इसलिऐ दौराने नियमित वाद 183 बी की कार्यवाही को रोका जाना चाहिऐ। अपीलान्ट द्वारा कब्जे की तिथि को भी स्पष्ट नहीं किया है। वकील रैस्पोडेन्ट का यह भी कहना है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 30.9.2011 को खसरा नम्बर 133 रकबा 11 वीघा 12 विस्बा की अपीलान्ट रामपति खातेदार ही नहीं थी। खातेदार नहीं होने से रामपति अपीलान्ट को तहत अदालत में प्रार्थना पत्र 183 बी पेश करने का अधिकार ही नहीं था। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत आदेश है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2016 बहाल रखे जाने एवं अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील में मुख्यतः यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या वास्तव में अपीलान्टस की खातेदारी की आराजी पर रैस्पोडेन्ट के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है अथवा नहीं ? क्या रैस्पोडेन्टस अपीलान्टस की खातेदारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में कोई अपना हक हकूक रखते है ? यदि नहीं रखते है तो किस हैसियत से अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि पर काबिज है ? मौके पर किसी खातेदार की आराजी पर किसी अतिक्रमी का अवैध कब्जा पाये जाने पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही कर उसका हटाया जाना हमारे ख्याल से न्याय संगत रहता है साथ ही यह तहत अदालत का दायित्व भी है। धारा 188 आरटीएक्ट के तहत दावा विचाराधीन होना एक अलग बिन्दु है। यदि विवादित आराजी पर रैस्पोडेन्टस का कोई विधिक हकूक है ही नहीं तो उसे वेदखल किया जाना ही न्याय है। विवादित आराजी व उसके रिकार्ड/मौके से रूबरू होते हुये तहसीलदार को प्रार्थना पत्र 183 बी को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिऐ था। जिसके लिये तहत अदालत पूर्णरूपेण सक्षम है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 14.7.2016 पेज नम्बर 403 लगायत 409 ताज मौहम्मद व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य में यह स्पष्ट है कि दावा विचाराधीन होते हुये भी तहसीलदार प्रार्थना पत्र धारा 183 बी पर कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम रहता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2016 निरस्त योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2016 निरस्त किया जाता है। तहत अदालत तहसीलदार भुसावर को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में उभयपक्षक को सुनकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी के संबध में विवादित आराजी व उसके रिकार्ड/मौके से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 1.11.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर